तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./749 /2022 / जिला सीकर कान्ता बनाम परमेश्वरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
16-08-2022	**एकल–पीठ** **श्री सत्तार खां, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मोहम्मद इकबाल, अभिभाषक प्रार्थी **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 सपठित धारा 221 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने एक राजस्व वाद अधिकारों की उदघोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां बाबत विवादित आराजी मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 30–07–2021 को एकपक्षीय सुनवाई करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित भूमि बाबत् समस्त प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को पाबन्द कर मौके की वर्तमान स्थिति एवं विक्रय से आगामी तारीख पेशी दिनांक 16–8–2021 तक कायम रखी जाने का अंतरिम आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी कान्ता ने प्रथम अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां पेश की। न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने आदेश दिनांक 29–10–2021 द्वारा अप्रार्थी की अपील पर गुणावगुण पर निर्णय तहत का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरान्त करने तथा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं मानते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी तथ्यों को उल्लेखित करते हुये बहस में कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./749 /2022 / जिला सीकर कान्ता बनाम परमेश्वरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं था क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र मृत व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत किया गया था और आदेश दिनांक 30–7–2021 को पारित करते समय उपरोक्त पक्षकार क्रमशः अप्रार्थी संख्या 4 भगवानराम मार्च 2008 में, अप्रार्थी संख्या 5 किशनाराम वर्ष 2003 तथा अप्रार्थी संख्या 5 नवाब वर्ष 2009 में स्वर्गवास हो चुके थे। जिसकी पुष्टि स्वयं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी से होती है। इसके बावजूद दिनांक 16–8–2021 न्यायालय की आदेशिका में उपरोक्त व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने पर भी स्थगन आदेश दिनांक 30–7–2021 आगामी दिनांक तक बढ़ाया गया है जो पूर्ण रूप में विधि विरूद्ध आदेश था। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30–7–2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पूर्ण रूप से सशर्त जारी की गई थी और स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया था कि आगामी तारीख पेशी पर परिवर्तन की दशा में तथा आपत्ति प्रस्तुत होने पर तथा तहसीलदार सीकर से मौके की व रिकार्ड की वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट भी तलब की गई थी, के आने पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर पुनर्विचार किया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16–08–2021 को स्वयं द्वारा जारी आदेश दिनांक 30–7–2021 में वर्णित तथ्यों की पालना ही नहीं की। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील में अपीलीय न्यायालय ने भी कोई स्पष्ट फाईण्डिंग दिए बिना प्रार्थीया की अपील को ही खारिज कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2021 व न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2021 को निरस्त किया जावे। अभिभाषक प्रार्थी की बहस निगरानी के ग्राहयता के प्रश्न पर सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेशों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने एक राजस्व वाद अधिकारों की उदघोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के यहां बाबत विवादित आराजी मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 30–07–2021 को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए./749 /2022 / जिला सीकर** **कान्ता बनाम परमेश्वरी देवी वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकपक्षीय सुनवाई करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित भूमि बाबत् समस्त प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को पाबन्द कर मौके की वर्तमान स्थिति एवं विक्रय से आगामी तारीख पेशी दिनांक 16–8–2021 तक कायम रखी जाने का अंतरिम आदेश पारित कर दिये। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30–7–2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पूर्ण रूप से सशर्त जारी की गई थी और स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया था कि आगामी तारीख पेशी पर परिवर्तन की दशा में तथा आपत्ति प्रस्तुत होने पर तथा तहसीलदार सीकर से मौके की व रिकार्ड की वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट भी तलब की गई थी, के आने पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर पुनर्विचार किया जावेगा तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 16–8–2021 तक ही उक्त आदेश प्रभावी रहेगा। दिनांक 16–8–2021 को प्रार्थीया जरिये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो गई और आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर सुनवाई किए बगैर स्थगन आदेश को आगामी पैशी दिनांक 21–9–2021 तक बढ़ा दिया गया। एकतरफा स्थगन आदेश अवधि एक माह से अधिक नहीं होनी चाहिये। किंतु प्रकरण में एकतरफा स्थगन जारी है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 16–08–2021 को स्वयं द्वारा जारी आदेश दिनांक 30–7–2021 में वर्णित तथ्यों की पालना ही नहीं की। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील में अपीलीय न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर अपने आदेश दिनांक 29–10–2021 द्वारा अप्रार्थी की अपील पर गुणावगुण पर निर्णय तहत का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरान्त करने तथा स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई स्पष्ट फाईण्डिंग दिए बिना उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं मानते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। विचारण न्यायालय ने एकतरफा स्थगन आदेश को लगातार रखते हुये उभय पक्ष को सुनकर एक माह में निर्णय नहीं किया जबकि गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करना चाहिये। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही निर्णित की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.07.2021 व 29.10.2021 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उनके न्यायालय में लम्बित अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र का उभय पक्ष को सुनकर एक माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण कर देवें। तब	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./749 /2022 / जिला सीकर कान्ता बनाम परमेश्वरी देवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	तक उभय पक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर एक माह में निर्णय पारित नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझा जावेगा। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(सत्तार खां)** **सदस्य**	